

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ३०९ ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-
बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण (कि०मी० १३३ से १७०) लम्बाई ३७.०० कि०मी०

109

संलग्नक सं०-२.३३

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

(महेन्द्र कुमार)
अधिशारी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

(प्रमाणित)
प्रमाणित वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

(दीपक कुमार जोशी)
सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

उपप्रमाणित वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

उप जिलाधिकारी,
बागेश्वर

(गौरव भट्ट)
कनिष्ठ अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

वन-क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, क्षेत्र
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर

20/11/20

राजस्व-उप निरीक्षक

अधीनस्थ अधिकारी
बागेश्वर

राजस्व-उप निरीक्षक